

(3)

16/17

आदेश


आवेदक बुधनी देवी पति-स्व0 भातु रजक ग्राम-धोबियाडीह पो0-खेशमी थाना-नवलशाही जिला-कोडरमा द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 46 (i) (b) के तहत मौजा-पुरनानगर थाना नं0-105 थाना-नवलशाही के खाता नं0-20 प्लॉट नं0-51 रकवा-2.60 एकड़ मध्ये 0.16डी0 भूमि श्रीमती पिन्की देवी पति-रामु रजक ग्राम-धोबियाडीह, पो0-खेशमी, थाना-नवलशाही के नाम से बिक्री करने हेतु अनुमती का मांग किया है।

अंचल अधिकारी,मरकच्चो का पत्रांक-338 दिनांक-03.05.2017 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पुरनानगर थाना नं0-105 खाता नं0-20 प्लॉट नं0-51 रकवा-0.16 एकड़ भूमि सर्वे खतियान भूमि है। खतियान अकल धोबी,सुकर धोबी कौरह के नाम से है। आवेदक विक्रेता को अनुमती मिलने के पश्चात् 2.44 एकड़ भूमि बचता है। बिक्री की अनुमती मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आतें है। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। क्रेता के पास पूर्व में 11.05½ एकड़ भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जाति के है एवं एक ही थाना एवं ग्राम के है। अभिलेख में खतियान,मालगूजारी रसीद,क्रेता एवं विक्रेता का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न है। अंचल अधिकारी,मरकच्चो ने प्रस्तावित भूमि को हस्तांतरण करने की अनुशंसा किया है।


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,मरकच्चो द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0-JHCC/2016/26980,दिनांक-17.03.2016 के अनुसार आवेदिका बुधनी देवी पति भातु रजक जाति के धोबी है एवं प्रमाण पत्र सं0-CST/1805/12/0048,दिनांक-10.09.2012 के अनुसार पिन्की देवी पति-रामु रजक जाति के धोबी है। अंचल अधिकारी, मरकच्चो द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0 -JHRC/2016/07694 दिनांक -11.01.2016 के अनुसार बुधनी देवी पति-भातु रजक ग्राम-खेशमी उर्फ पुरनानगर पो0-खेशमी थाना-नवलशाही जिला-कोडरमा का निवासी हैं एवं अंचल अधिकारी, मरकच्चो का प्रमाण पत्र सं0-RES/1805/12/00204 दिनांक-11.09.2012 के अनुसार पिन्की देवी पति-रामु रजक ग्राम-धोबीयाडीह पो0-खेशमी थाना-मरकच्चो का निवासी है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति के है एवं एक ही ग्राम के है।

अतः अंचल अधिकारी, मरकच्चो के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा- खेशमी उर्फ पुरनानगर थाना नं0-105 थाना-नवलशाही खाता नं0-20 प्लॉट नं0-51 रकवा-2.60 एकड़ मध्ये 0.16 एकड़ भूमि बुधनी देवी पति-भातु रजक ग्राम-धोबियाडीह पो0-खेशमी थाना-नवलशाही,जिला-कोडरमा द्वारा श्रीमती पिन्की देवी पति-रामु रजक ग्राम-धोबियाडीह, पो0-खेशमी, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा को बिक्री की अनुमती दी जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक,कोडरमा एवं अंचल अधकारी,मरकच्चो को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


20/6/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।


20/6/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।

जांचक - 636/214 दिनांक 28.7.2017 के द्वारा मौजा जांच

C.C. 114
2570
8-6-17